THE DIST. ADV. BAR, ASSO., JAIPUR

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	509/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/1/20	[illegible] सरकार उपस्थित। [illegible] जाने। R.A. [illegible] पर होने। [illegible]/[illegible] [illegible] 30.12.20	रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। उन्हें नकल उपलब्ध करवाई गयी। अगले जवाब/बहस प्रार्थना पत्र हेतु।
30/12/20	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपी. उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवम् पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण की इस स्टेज पर प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर आगामी तारीख पेशी तक विवादग्रस्त भूमि पर कोई निर्माण नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। शेष रेस्पोडेन्ट की तामील इन्तजार हेतु दिनांक 28/1/2021 को पेश हो।	

पुनश्च: आदेश सुनाये जाने के पश्चात अभिभाषक उभयपक्षों ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि दोनों पक्षों द्वारा आदेश पत्र अपील दिनांक 13/11/19 को निरस्त कर विवादित भूमि पर निर्माण नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने हेतु संयुक्त बहस स्पष्ट रूप से सहमति जाहिर की थी किन्तु न्यायालय द्वारा मात्र निर्माण नहीं किये जाने के आदेश ही प्रदान किये गये हैं। अतः पूर्व आदेश प्रदान किये जावे। चूंकि उभयपक्षों ने सहमति जाहिर कर आदेश पत्र अपील को निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन पुनः उपस्थित होकर किया है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई परीक्षण किये बगैर मात्र उभयपक्षों की सहमति के आधार पर आदेश पत्र अपील दिनांक 13/11/19 निरस्त किया जाकर विवादित भूमि पर निर्माण नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये जाकर प्रकरण मूल ही अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर दोनों पक्षों की सुनवाई कर निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। तदनुसार पत्रावली केस नं. शुमार होकर बोर्ड तकमील डालिस क्लर्क हो।

Mukesh
R.L. Sen

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर